

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2008—ज्येष्ठ 30, शक 1930

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जून 2008

क्र. 997-08-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 है.
2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984);
 - (ख) “प्रारूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप;
 - (ग) “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.
3. **रजिस्टर तथा स्थल योजना तैयार करना.**—(1) प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिये प्ररूप-क में एक रजिस्टर तैयार करेगा.
 - (2) प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्र के प्रत्येक कुटुम्ब के अधिभोग के अधीन भू-खण्ड को दर्शाने वाली स्थल योजना तैयार करवायेगा.

4. **भूमिहीन व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण.**—प्राधिकृत अधिकारी उक्त रजिस्टर में स्वप्रेरणा से ऐसे प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति का मामला रजिस्ट्रीकृत करेगा जिसके पक्ष में भूमि का, पट्टाधृति अधिकार के अन्तर्गत व्यवस्थापित होना मान लिया गया है।

5. **निर्विवाद मामलों का अभिलेखन.**—प्राधिकृत अधिकारी स्थल निरीक्षण करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह उचित समझे तथा समस्त निर्विवाद मामलों के संबंध में ऐसे पट्टाधृति अधिकारों को अभिलिखित करेगा।

6. **विवादग्रस्त मामलों का रजिस्ट्रीकरण.**—प्राधिकृत अधिकारी एक पृथक् रजिस्टर में समस्त विवादग्रस्त मामलों को रजिस्टर करेगा तथा अपने विनिश्चय का सारांश प्ररूप-क में रजिस्टर में अभिलिखित करेगा। ऐसे समस्त मामलों का विनिश्चय सुनने तथा समुचित जांच करने के पश्चात् किया जायेगा।

7. **स्थायी पट्टा प्रदान किया जाना.**—स्थायी पट्टा विलेख तीस वर्ष की कालावधि के लिये प्ररूप-ख में जारी किया जायेगा।

8. **अस्थायी पट्टा विलेख.**—यदि प्राधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लोकहित में अन्यत्र सम्पूर्ण व्यवस्थापन आवश्यक है तो ऐसे व्यवस्थापन के स्थल के अधिभोगियों को उनके अधिभोग के गृह स्थल के लिये प्ररूप-ग में अस्थायी पट्टे जारी किये जायेंगे। जब अस्थायी पट्टाधारक को वैकल्पिक स्थल पर व्यवस्थापित कर दिया जाता है तो उसे दिया गया अस्थायी पट्टा स्वतः व्यपगत हो जायेगा।

9. **निवासगृहों का हटाया जाना.**—(1) विद्यमान अधिभोग की किसी भूमि को लोकहित में खाली कराने के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिये एक उच्च शक्ति (हाई पॉवर) समिति होगी।

(2) उच्च शक्ति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) भोपाल शहर के लिए :—

(1)	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन तथा विकास	अध्यक्ष
(2)	संभागीय आयुक्त, भोपाल	सदस्य
(3)	कलक्टर, भोपाल	सदस्य
(4)	पुलिस अधीक्षक, भोपाल	सदस्य
(5)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(6)	आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल	सदस्य
(7)	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
(8)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोपाल	सदस्य

(ख) संभागीय मुख्यालयों के लिए :—

(1)	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	कलक्टर	सदस्य
(3)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(4)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(5)	आयुक्त, नगरपालिक निगम	सदस्य
(6)	नगर तथा ग्राम निवेश का स्थानीय अधिकारी	सदस्य
(7)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

(ग) अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिए :—

(1)	कलक्टर	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(4)	आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका निगम/ नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.	सदस्य
(5)	नगर तथा ग्राम निवेश का जिले का भारसाधक अधिकारी	सदस्य
(6)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अधिकरण	सदस्य

(3) उपनियम (1) के अधीन गठित उच्चशक्ति समिति लोकहित में निवासगृहों, स्थलों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करेगी :—

- (एक) ऐसे भूमिहीन व्यक्ति के मामले में, जिसने किसी सार्वजनिक उद्यान में या किसी सड़क की ओर या सड़क या निवास स्थान के बीच में या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि पर किसी आवास स्थल को अधिभोग में रखा है, उसे ऐसे स्थान से हटाया जाएगा और उसे किसी वैकल्पिक स्थान पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान करके अन्यत्र बसाया जाएगा.
- (दो) यदि स्थायी पट्टाधारियों को हटाना तथा अन्यत्र बसाना लोकहित में आवश्यक समझा जाए तो उच्चशक्ति समिति ऐसे पट्टाधारकों को सुनवाई का अवसर देगी तथा उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अधिभोगी को अन्यत्र बनाने का विनिश्चय करेगी.

10. वैकल्पिक व्यवस्थापन पर स्थायी पट्टे का प्रदाय.—जब किसी अस्थायी पट्टाधारक को किसी वैकल्पिक स्थल पर व्यवस्थापित किया जाए तो उसे तब तक स्थायी पट्टा नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह अस्थायी पट्टे के अधीन उसके द्वारा अधिभोग भूमि खाली नहीं कर देता.

11. विकास प्रभार.—(एक) स्थायी एवं अस्थायी पट्टाधारक से कोई प्रव्याजी (प्रीमियम) अथवा भू-भाटक संगृहीत नहीं किया जायेगा. पट्टाधारक को 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष निम्नदरों पर विकास प्रभार का भुगतान करना होगा :—

अनुक्रमांक (1)	नगरीय क्षेत्र का विवरण (2)	शुल्क प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष (रुपये में) (3)
1	नगर पंचायत	1.00
2	नगरपालिका परिषद्	1.50
3	नगरपालिका निगम	2.00

(दो) विकास प्रभार चार समान किशतों में अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी में देय होगा.

(तीन) पट्टाधारकों से विकास प्रभार नगरपालिका द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् खाते में जमा किया जाएगा. इस खाते से राशि का आहरण आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा कलक्टर या उसके द्वारा लिखित में किसी प्राधिकृत अधिकारी के जो अतिरिक्त कलक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.

(चार) नगरपालिका द्वारा प्राप्त की गई रकम का उन क्षेत्रों में जहां पट्टाधृति अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उन क्षेत्रों में, जहां भूमिहीन व्यक्ति मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के उपबंधों के अधीन पुनः स्थापित किए गए हैं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाएगा.

12. अधिभोग की भूमि को खाली कराया जाना सुनिश्चित करना.—यदि भूमिहीन व्यक्ति वैकल्पिक स्थल पर व्यवस्थापित हो जाता है तो उसे कोई पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह पहले से अधिभोग में ली गई भूमि को खाली नहीं कर देता.

13. निरसन.—मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 1998 एतद्वारा निरस्त किया जाते हैं.

प्ररूप-क
(नियम 3 देखिये)

अनुक्रमांक (1)	मोहल्ले का नाम (2)	अधिभोगी का नाम (3)	आवास क्रमांक (4)	अधिभोग का क्षेत्रफल (5)
-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------

अधिभोगी के कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या (6)	कुटुम्ब में वयस्क महिलाओं की संख्या (7)	क्या अधिभोगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का सदस्य है (8)	अधिभोगी का व्यवसाय तथा उसके कथन के अनुसार उसकी वार्षिक आय (9)	अधिभोग की कालावधि (10)
--	--	--	--	---------------------------

यदि अधिभोगी नगरीय क्षेत्र में कोई भूमि धारण करता है तो उसका ब्यौरा (11)	शपथ-पत्र पर अधिभोगी का कथन (12)	यदि अधिभोगी के पास राशन कार्ड है तो उसका ब्यौरा (13)	साक्षी के रूप में नगरपालिका के समुचित अधिकारी के हस्ताक्षर (14)
--	------------------------------------	---	--

सक्षम अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण की तारीख तथा उसका संक्षिप्त मत (15)	सक्षम अधिकारी का आदेश (16)	व्यवस्थापित भूखण्ड का क्षेत्रफल (17)	वार्षिक विकास प्रभार (18)	अभ्युक्ति (19)
---	-------------------------------	---	------------------------------	-------------------

पट्टेदार का
संयुक्त
छाया चित्र

प्रारूप-ख
(नियम 7 देखिये)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जो इसमें पश्चात् पट्टाकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) की ओर से कार्य करते हुए
जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, श्री/श्रीमती आत्मज पत्नी
निवासी जिसका छायाचित्र तथा बायें हाथ के अंगूठे का निशान पार्श्व में लगे हैं (जो इसमें इसके
पश्चात् पट्टेदार के नाम से निर्दिष्ट है) को नीचे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि वर्ष
की कालावधि के लिये पट्टाधृति अधिकार पर धारण करने के लिये, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का
प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और नीचे दर्शाये गये
निबंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, एतद्द्वारा पट्टा प्रदान किया जाता है :-

1. पट्टेदार उसे आवंटित (उक्त) भूमि का उप पट्टा विक्रय पत्र, दान पत्र, बंधक के तौर पर या अन्य किसी रीति से समनुदेशन
या अंतरण नहीं करेगा या उक्त भूमि का कब्जा नहीं छोड़ेगा जिससे कि उसका कोई विभाजन हो जाय या पट्टाधृति अधिकार के स्वरूप
में अन्यथा परिवर्तन हो जाय.

2. पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना निवास गृह से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये उक्त भूमि का
उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिये अनुज्ञात नहीं करेगा.

3. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के उल्लंघन में पट्टेदार द्वारा किये गये किसी भी अंतरण से पट्टाधृति अधिकार रद्द
हो जायेगा.

4. अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (3) के अधीन यदि लोकहित में बस्ती के अन्यत्र व्यवस्थापन (स्थानान्तरण) का
विनिश्चय किया जाता है, तो पट्टाधृति अधिकार रद्द कर दिया जाएगा तथा पट्टेदार का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जायेगा.

5. पट्टेदार बस्ती विकास प्रभार 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 4 समान किशतों
में चुकायेगा.

6. पट्टाकर्ता आगे और प्रसंविदा करता है कि वह एद्द्वारा मंजूर की गई अवधि के अन्त में और तत्पश्चात् इसी प्रकार
समय-समय पर वर्षों की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि के अन्त में जो कि पट्टेदार (पट्टाधारी) के निवेदन पर तथा
खर्चों से मंजूर की जायेगी, उक्त भूमि को वर्ष की अवधि के लिये पट्टे का नवीकरण करके उसके नाम से
निष्पादित करेगा :

परन्तु पट्टे के नवीकरण किये जाने के समय बस्ती विकास प्रभार बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इसमें वे निबंधन
वे शर्तें अंतर्विष्ट होंगी जो कि लागू होती हों तथा ऐसी शर्तें होंगी जो कि पट्टाकर्ता द्वारा भविष्य के लिये उचित समझी जाएं :

परन्तु यह और कि प्रत्येक क्रमवर्ती नवीकरण के समय नियत किया जाने वाला बस्ती विकास प्रभार तथा इस संबंध में अधिरोपित
की जाने वाली शर्तें अंतिम होंगी.

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों में प्रत्येक मामले में लिखे गये दिन तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

साक्षी— 1.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
2.	तारीख
1.	पट्टेदार के हस्ताक्षर
2.	तथा बायें हाथ की अंगूठा निशानी तारीख

अनुसूची

भूखण्ड क्रमांक मोहल्ला क्रमांक तथा नाम
 क्षेत्र/परिक्षेत्र का नाम तहसील तथा जिला क्षेत्रफल माप में
 वर्गफीट तथा सीमाबद्ध निम्नानुसार है :-

- उत्तर में—
 दक्षिण में—
 पूर्व में—
 पश्चिम में—

प्रारूप-ग

पट्टेदार का
 संयुक्त
 छाया चित्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जो इसमें पश्चात् पट्टाकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) की ओर से कार्य करते हुए जिला
 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, श्री आत्मज /
 श्रीमती पति श्री निवासी
 (जो इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार के नाम से निर्दिष्ट है) को इसके नीचे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पट्टाधृति अधिकार पर धारण करने के लिये, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और इसमें इसके नीचे दर्शाये गये निबंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, एतद्वारा पट्टा प्रदान किया जाता है :-

1. पट्टेदार उक्त भूमि का समनुदेशन, अंतरण नहीं करेगा या कब्जा नहीं छोड़ेगा जिससे उसका कोई विभाजन हो जाये या निवास गृह में अन्यथा कोई परिवर्तन या परिवर्धन हो जाय.
2. पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त भूमि का निवास गृह से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिये अनुज्ञात नहीं करेगा.
3. यदि आनुकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया जाता है तो पट्टा रद्द हो जायेगा. पट्टेदार निर्माण सामग्री आनुकल्पिक स्थल को ले जा सकेगा जिसके लिये उसे कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा.
4. पट्टा प्रत्येक वर्ष तब तक नवीकरण नहीं किया जायेगा जब तक की वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं हो जाता है.

साक्षीगण—

1

2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से प्राधिकृत
 अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

पट्टाधारी के हस्ताक्षर

तथा बांये हाथ की अंगूठा निशानी

अनुसूची

भूखण्ड क्रमांक (क्षेत्र या परिक्षेत्र का नाम) तहसील तथा
जिला क्षेत्रफल माप में फोटो तथा सीमाबद्ध निम्नानुसार है :—

उत्तर में—

दक्षिण में—

पूर्व में—

पश्चिम में—

No. 997-08-8-3.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kitya Jana) Rules. 2008.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kitya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) ;
- (b) “Form” means a form appended to these rules;
- (c) “Section” means a section of the Act.

3. **Preparation of Register and site Plan.**—(1) The Authorised Officer shall prepare a register for each area in form ‘A’ for the purpose of this Act.

(2) The Authorised Officer shall cause to be prepared a site plan showing plots of land under occupation by each family of the area.

4. **Registration of landless person.**—The authorised Officer shall suo-moto register cases in the above register cases in the above register of each landless person in whose favour the land has been deemed to have been in lease hold rights.

5. **Recording of undisputed cases.**—The Authorised Officer shall make spot inspection and shall hold such enquiries as he deems fit and record such lease hold rights in respect of all undisputed cases.

6. **Registration of disputed cases.**—The Authorised Officer shall register a separate case of all disputed cases and record a summary of his decision in the register in form ‘A’. All such cases shall be decided after hearing and making a proper enquiry in each case.

7. **Grant of permanent Lease.**—A permanent lease deed shall be issued in form ‘B’ for a period of 30 years.

8. **Temporary lease deed.**—If the Authorised Officer comes to the conclusion that it is necessary to resettle whole settlement elsewhere in the public interest. occupants of house sites in such settlement shall be issued temporary lease deeds for the house sites occupied by them in form ‘C’. The temporary lease deed shall lapse automatically as soon as the temporary lease holder is settled at an alternate site.

9. **Removal of dwelling House.**—(1) There shall be a High Power Committee to decide on the question of securing the vacation of any existing occupied land in the public interest.

(2) The High Power Committee shall consist of the following, namely:—

(a) **For Bhopal City:—**

(1)	Principal Secretary, Urban Administration and Development	Chairman
(2)	Divisional Commissioner, Bhopal	Member
(3)	Collector, Bhopal	Member
(4)	Superintendent of Police, Bhopal	Member
(5)	Sub-Divisional Officer. (Revenue) of the area	Member
(6)	Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal	Member
(7)	Director, Town and Country Planning, Bhopal	Member
(8)	Project Officer, District Urban Development Agency, Bhopal	Member

(b) **For Divisional Headquarters:—**

(1)	Divisional Commissioner	Chairman
(2)	Collector	Member
(3)	Superintendent of police	Member
(4)	Sub-Divisional Officer, (Revenue) of the area	Member
(5)	Commissioner, Municipal Corporation	Member
(6)	Local Officer of Town and Country Planning	Member
(7)	Project Officer, District Urban Development Agency	Member.

(c) **For Other Urban Areas:—**

(1)	Collector	Chairman
(2)	Superintendent of police	Member
(3)	Sub-Divisional Officer, (Revenue) of the area	Member
(4)	Commissioner, Municipal Corporation/Chief Municipal Officer/Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchyat.	Member
(5)	Officer of Town and Country Planning, incharge of the District	Member
(6)	Project Officer, District Urban Development Agency	Member.

(3) The High power Committee constituted under sub-rule (i) shall take the following action in the matter of securing the vacation of house sites in the public interest, namely:—

(i) In the case of a landless person who occupies a house site in some public park or in the side of a road or in between road and dwellings or on the land required for other public purposes. he shall be shifted from such location and resettled elsewhere by granting him leasehold right. on the alternative location.

(ii) if it is considered necessary in the public interest to shift the permanent lease holders and settle them elsewhere, the High Power Committee shall give to such lease holder an opportunity of being heard and shall decide on shifting the occupant elsewhere after considering all the facts placed before it.

10. **Grant of permanent lease on alternate Settlement.**— When a temporary lease holder is resettled at some alternate site he shall not be granted a permanent lease unless he vacates the land occupied by him under temporary lease.

11. **Development Charge:—**

- (i) No premium or lease rent shall be collected from the permanent or temporary lease holders. The lease holder shall pay for 10 years an annual development charge at the following rates:—

S.No.	Description of the Urban Area	Rate per square ft. per year (Rs.)
1.	Nagar Panchayat	1.00
2.	Municipal Council	1.50
3.	Municipal Corporation	2.00

- (ii) The development charge shall be payable in four equal installments in the month of April, July, October and January.
- (iii) The development charges shall be collected from the lease holders by the Municipality and shall be credited into a separate account in a Scheduled Bank. The withdrawals from this account shall be made under the joint signatures of the Commissioner/Chief Municipal Officer and the Collector or any officer authorized by him in writing not be below the rank of an Additional Collector.
- (iv) The amount received by a Municipality shall be utilized for providing basic amenities in the areas where settlements of lease-hold rights have been made and in the areas where the landless persons have been resettled under the provisions of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

12. **Securing vacation of occupied land.**—If a landless occupant is resettled at an alternate site, such a settler shall not be granted any lease till he vacates the land occupied by him earlier

13. **Repeal.**—The Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Niyam, 1998 is hereby repealed.

FORM "A"
(See rule 3)

S.No.	Name of the Mohalla	Name of the Occupant	House No.	Area occupied
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Number of family members of the occupant (6)	Number of adult females in the family (7)	Whether the occupant belongs to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes on Backward Classes (8)	Occupation of the occupant and his annual income as stated by him (9)	Period of occupation (10)
---	--	--	--	------------------------------

If the occupant holds any land in the urban area details there of (11)	Statement of occupant on oath (12)	If the occupant has a ration card details thereof (13)	Signature of the appropriate officer authorised by Municipality as witness (14)	Date of spot inspection by the competent officer and his brief opinion (15)
---	---------------------------------------	---	--	--

Order of the competent officer (16)	Area of Plot settled (17)	Annual Development Charges (18)	Remarks (19)
--	------------------------------	------------------------------------	-----------------

FORM "B"
(See rule 7)

Joint
Photograph
of lessee

Lease is hereby granted by the Authorised Officer of Districts acting on behalf of the Governor of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Lessor) to Shri/Smt..... Son/Wife of and Shri/Smt..... Son/Wife of Shri R/O..... whose photograph and left hand thumb impression are affixed in the margine (hereinafter referred to as the lessee) to hold land specified in the schedule appended hereunder on lease hold rights for a period of years subject to the provisions of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin

Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) and the rules made thereunder and the terms and conditions given below:—

1. The lessee shall not assign or transfer the land allotted to him by way of sublease, sale deed, gift, mortgage, or in any other manner, nor shall he part with the possession of the said land so as to cause any division therein or otherwise to alter the nature of the leasehold right.

2. The lessee shall not without the previous permission in writing of the Authorised Officer use or allow to be used the said land for purpose other than as a dwelling house.

3. Any transfer made by the lessee in contravention of sub-section (3) of Section 3 of the Act will lead to the cancellation of the leasehold right.

4. If, in Public interest it is decided to resettle the basti elsewhere under sub-section (3) Section 3-A of the Act, the leasehold right shall be cancelled and the lessee may be settled elsewhere.

5. The lessee shall pay for a period of 10 years basti development charges at the rate of rupees per square feet per year in equal instalments.

6. The lessor hereby covenants that he will at the end of the term hereby granted and thereafter from time to time at the end of each successive further terms as shall be granted at the request and cost of the lessee, execute it to him a renewed lease of the land for a period of year:

Provided that at the time of the renewal of lease the basti development charge may be increased and the renewed lease may contain such of the terms and conditions herein contained as shall be applicable and such other conditions as may be deemed proper by the lessor for the future:

Provided further that the decision of lessor at each successive renewal about the basti development charges and the conditions imposed in this regard shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the day and year written in each case.

Witnesses—

1.....

Signature of Authorised Officer
on behalf of the Governor of
Madhya Pradesh
Dated

2.....

1.

Signature and left hand thumb
impression of the lessee

2.

Dated

SCHEDULE

Plot No Mohalla No. and Name Name of Area/
CircleTehsil and District Measuring..... square feet
and bounded as under:—

In the North by _____

In the South by _____

In the East by _____

In the West by _____

Joint
Photograph
of lessee

FORM "C"
(See rule 8)

Lease is hereby granted by the Authorised Officer of the District..... acting on behalf of the Governor of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the lessor) to Shri/Smt.Son/Wife of Shri/Smt. Son/Wife of resident of (hereinafter referred to as the lessor) to hold the land specified in the Schedule appended hereunder on a leasehold right subject to the provisions of Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhruti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984) and the rules made, there under and the terms and conditions here in after appearing:—

1. The lessee shall not assign transfer or part with the possession of the said land so as to cause any division there of otherwise make any alteration or addition in the dwelling house.

2. The lessee shall not without the previous permission of the Authorised Officer use or allow to be used the said land for a purpose other than as a dwelling house.

3. The lease shall stand cancelled if alternate site is made available. The lessee can take the material to alternate site for which he will not get any compensation.

4. The lease shall be renewed every year till alternate site is made available.

In witness whereof the parties here to have set their hands on the day and year written in each cases.

Witnessess—

1.....

Signature of Authorised Officer
on behalf of the Governor of
Madhya Pradesh
Dated

2.....

1.....

Signature and left hand thumb
impression of the lessee

2.....

Dated

SCHEDULE

Plot No Mohalla No. and Name Name of Area of
Circle Tehsil and District
admeasuring..... square feet and bounded as under:—

In the North by _____

In the South by _____

In the East by _____

In the West by _____

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र उपाध्याय, उपसचिव.